सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2021 / 03 दर्ज दिनांक : 22.01.2021

1. मेहनलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–प्रार्थी–

बनाम

1. मंदिर श्री गौपालजी रतननगर तहसील व जिला चूरू जरिये रतनलाल मिश्रा पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 14 तहसील व जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलादर महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विजय कस्वा प्रार्थी
श्री महावीर प्रसाद अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त एवं स्वामित्वाधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 तादादी 8.4225 हैक्टेयर, रोही मौजा थैलासर तहसील व जिला चूरू में अवस्थित है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है। जिसमें एक कमरा, पीने के पानी का कुंड, दो कच्चे झोंपड़े एवं पशुओं के लिये एक छान बनाकर धन–पशुओं सहित रिहाश कर रहा हे। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में लोहे का गेट लगा रखा है।
2. यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 में आवामन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399 / 899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर, रोही मौजा रतननगर तहसील व जिा चूरू में से पुख्ता कदीमी 20 फुट चौड़ा रास्ता चला आ रहा है।
3. यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399 / 899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर, रोही मौजा थैलासर की खातेदारी अप्रार्थी मंदिर श्री गौपालजी रतननगर के नाम दर्ज है। मगर रतनलाल मिश्रा नाम का व्यक्ति अपने आप को उक्त कृषि भूमि खसर नम्बर 1399 / 899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर का मालिक बताकर आ रहा है। रतनलाल मिश्रा मंदिर श्री गौपालजी की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है, [illegible] धिक प्रवृति के लोगो को मौके पर लाकर भूमि दिखाता है और कब्जा कर[illegible] का रास्ता बंन्द करवाने की धमकियां देता रहता है। इसी प्रक्रम [illegible] आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को मौके पर लाकर प्रार्थी [illegible] अनाधिकृत रूप से गैट के आगे पट्टियां व तारबन्दी [illegible] की नामाक कोशिश की [illegible] व उसके पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested

सुभाष ने जब ऐसा न करने के लिए कहा तो जान से मारनें की धमकि दी व मारमीट करने पर उतारू हो गये। प्रार्थी के पुत्र सुभाष ने पुलिस को सूचना देने पर तुरन्त मौके पर पुलिा आ गयी। अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तोरतनलाल मिश्रा व उसके साथ आये व्यक्ति प्रार्थी व उसके पुत्र के साथ मारपिट कर पट्टियां व तारबन्दी कर रास्ता को बन्द कर देते प्रार्थी के पुत्र सुभाष ने अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमान तहसीलदार चूरू व श्रीमान थानाधिकारी रतननगर को लिखित में इस आशय का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

4. यह कि प्रार्थी कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 में जाने के लिए मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते आत्यन्तिक आवश्यकता है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399/899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर, रोही मौजा रतननगर तहसील व जिला चूरू में से पुख्ता कदीमी 20 फूट चौड़ा रास्ता चला आ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से प्रार्थी कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 में जाने के लिए लम्बाई 100 फुट तथा चौड़ाई 20 फुट बनती है जिसका नजरिया नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 तादादी 8.4225 हैक्टेयर, रोही मौजा थेलासर में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से अप्रार्थी संख्या 01 मंदिर श्री गोपालजी रतननगर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399/899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर रोही मौजा रतननगर में से प्रार्थी के खेत तक खसरा नम्बर 53 तक 20 फीट चौड़ा रासता मौके पर स्थाई रूप से चालु है, परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 53 तक 20 फीट चौड़ा एवं 100 फीट लमबई का गैर मुमकिन कटानी रास्ता राजस्व अभिलेख में कामय करवाने का कानूनन अधिकारी है।

6. यह कि वादगत कृषि भूमियो के संबंधित राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 02 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से तहसीलदार चूरू के संरक्षण में हैं। और राजस्व अभिलेख में संशोधन होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकरान होने पर पतिवादी संख्या 02 को ही राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करना अतः प्रतिवादी संख्या 02 को ही राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करना है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है।

7. यह कि वादगत कृंषि भूमियां एवं पक्षकार माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है अतः प्रार्थना पत्र सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं और उचित न्यायशुलक पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 तादादी 8.4225 हैक्टेयर, रोही मौजा थेलासर में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमर्गा संख्या 52 से अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399/899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर रोही मौजा रतननगर प्रार्थी के खेत तक खसरा नम्बर 53 तक 20 फीट चौड़ा रास्ता गैर मुमकिन कटानी रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जावे। उक्त कटानी रास्ता कायम करने पर अप्रार्ीी संख्या 01 के खातेदारी खेत 1399/899 तादादी 2.3466 हैक्टेयर, रोही मौजा रतननगर में से जाने वाली कृषि भूमि के कुल रकबे की गणना की जाकर उक्त रास्ता भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम अंकित भूमि में से कम की जाकर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर राजस्व अभिलेख व नक्शा में अमल दरामद करने के आदेश श्रीमान तहसीलदा चूरू को दिये जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता महावीर प्रसाद वर्मा ने वकालतन Signature Not Verified [illegible]। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओ Digitally signed by Sunil Kumar [illegible] गया है

मद संख्या 01 अस्वीकार Date: 2026.05.14 13:26:32 IST [illegible] में यह अंकित नहीं किया गया की कौनसी दिशा में कि Reason: SelfAttested [illegible] है स्पष्ट नहीं करने से मोहनलाल की दूषित

मानसिंकता को स्पष्ट दर्शित करता है, मोहनलाल ने यह प्रार्थना–पत्र क्लील हैंड से प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये यह प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्ण रूप से गलत एवं निराधार दर्ज है, पटवार हल्का थैलासर पूर्ण रूप से गलत एवं निराधार दर्ज है, पटवार हल्का थैलासर की सीमा के राजस्व नक्शे(एनेक्चर–1) में पश्चिम भूजा जो मार्क ए से बी उतर दक्षिण दर्शित है। मार्क ए से बी ग्राम थैलासर पटवार हल्का की सीमा पूर्ण होना दर्शित है उक्त सीमा पर सीमा के जमीदोज पुख्ता निशानात् राजस्व अधिकारी के आदेश से बनाये गये जो मोहनलाल ने थैलासर–रतननगर के राजस्व मुख्ता निशान को बिना किसी सरकारी आदेश प्राप्त किये थैलासर व रतननगर सीमाओं से चिन्हों को हटाने का दुष्कृत्य किया है, सरकारी सीमाओं के चिन्हों को मिटाने व हटाने का अपराध भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या–2 को संबंधित पटवार हल्का के रिकॉर्ड व मौका रिपोट्र लेकर उक्त मोहनलाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

यह कि प्रार्थना –पत्र की मद संख्या 03 के कथन गलत, निराधार अंकित करने से अस्वीकार है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1399/899 रकबा 2.3466 हैक्टेयर कृषि भूमि काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय अथवा इससे पूर्व भी कस्बा रतननगर की रोही में ही स्थिति थी और आज भी है। पटवार हल्का रतननगर की रोही में ही उपरोक्त कृषि भूमियां अवस्थित होने से पटवार हल्का, रतननगर के राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज मुर्ती मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज का मन्दिर कस्बा रतननगर, तहसील व जिला चूरू में स्थित है, मूर्ती मन्दिर शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में है, जिसके सभी विधिक एवम् साम्पतिक अधिकारों के रक्षा करने का प्राथमिक दायित्व मन्दि मूर्ती के सेवायत पुजारियों का है। उक्त मन्दिर की पूजा अर्चना, भोगराग एवम मन्दिर के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमियां व अचल सम्पतियों का रख–रखाव, प्रबंधन, देखभाल आदि का दायित्व पूर्व में ब्रह्मादत, जगन्नाथ, महादेव प्रसाद वल्द डालूराम मिश्र के पूजारियों द्वारा किया जाता था, उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त पूजारियों के वैद्य उतराधिकारियों द्वारा किया जा रहा ळैं वर्तमान में मूर्ति मैंन्दिर के सभी सेवायत पुजारियों को मोहनलाल द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 1399/899 की कृ षि भूमि वाके ग्राम रतननगर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के पूर्वी सीम पर स्थित होने से मोहनलाल व उनके साथम मिले भू–माफियाओं की नजर मूर्ति मन्दिर की कृषि भूमियों पर चढ गई , जिसे हड़पने एवम् कृषि भूमि खुर्द–बुर्द करने के कुचेष्टा करने पर मूति मन्दि के वर्ममान पुजारियों की सहमति से रतनलाल पुत्र सीताराम मिश्र द्वारा पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर उक्त खसरा नम्बर 1399/899 की कृषि भूमियों को सुरक्षित किया गया। तारबन्दी व पट्अियां रोपने के दौरान मोहनलाल व उसके पुत्र सुभाष द्वारा तारबन्दी के कार्य में बाधा डालने पर पुलिस थाना, रतननगर एवम् तहसीलदार की ओर से उपस्थित दोनो हल्का टपवारी (रतननगर व थैलासर) द्वारा रिकॉर्ड व दस्तावेज का मिलान करने के बाद मौके पर रास्ता मूर्ति मन्दिर की कृ षि भूमि से नही होने व कदीमी समय से ग्राम थैलासर की रोही में ही मोहनलाल के परिवार के पूर्वजों की भूमि खम्माराम, लिछमणराम व मालाराम के नाम से थैलासर की कृषि भूमि में पूर्व में रास्ता स्थित होने की स्थिति मिलने पर मोहनलाल एवं सुभाष को आयन्दा झुठी रिपोट्र करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही कि जाना दोनो पटवारी हलक द्वारा पाबंद किया गया उपरोक्त तथ्यों को मोहनलाल ने छुपाया है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 04 गलत, झुठी व निराधार है वर्तमान में खसरा नम्बर 53 ग्राम थैलासर की रोही [illegible] फीट चैडा रास्ता मौजूद होते हुए भी मोहनल ने झुठे कथन किये है इसलिए [illegible] मद [illegible]स्वीकार है। उक्त थैलासर के खसरा नम्बर 53 में व उससे भी आ[illegible] थैलासर से सटते ही राष्ट्रीय राजमार्ग–52 की रोड़ [illegible] खसरा नम्बर 837/816 एवं पृथ्वी पुत्र झाबर खसरा नम्बर 844/619 की पश्चिम भुजा की सींव से रास्ता आगे नवरत्न शर्मा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 835/817 की उतरी भुजा एवं पूर्वी सीमा से होता हुए आगे मोहनलाल कि कृषि खसरा नम्बर 53 के आगे रास्ता स्थित है। मोहनलाल ने उक्त रास्ते पर दो गेट लगा रखे है, राष्ट्रीय राजमार्ग–52 से मोहनलाल कि कृषि भूमि में आने–जाने की दूरी करीब 125 मीटर है, उक्त रास्ता आगे अन्य थेलासर की कृषि भूमियों में से होते हुए रामगढ की कृषि भूमियों में जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग–52 से मोहनलाल व आगे कृषि भूमियों में आने–जाने के रास्ते की फोटो 1 ता 18 दो पृष्ठीय रंगीन चित्र(एनेक्चर–2 व 03) है। एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–52 से थैलासर के खसरा नम्बर 53 व उससे आगे के खसरा नक्शा (एनेक्चर–4) है। उपरोक्त वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग थैलासर में स्थित भूमियों के काश्तकार कदिमी रूप से करते आ रहे है। खसरा नम्बर 1399/899 वाके रोही में थैलासर की कृषि भूमियों का कोई रास्ता नहीं है। मोहनलाल ने उक्त प्रार्थना–पत्र में गलत कथन किये है। मोहनलाल ने झुठा शपथ–पत्र न्यायालय में राजस्व रिकॉर्ड के विपरित प्रस्तुत किया है, मोहनलाल द्वारा खसरा नम्बर 1399/899 कि भूमि का फर्जी व झुठा नक्शा बनाकर मूर्ती मन्दिर श्री गोपालजी महाराज की कृषि भूमि में स्वयं को सदोष लाभ प्राप्ति एवं मूर्ति मन्दिर को सदोष हानि पहुंचाने कि कुचेष्टा करने पर उक्त मोहनलाल के खिलाफ सेवायत पुजारियों द्वारा छल एवं बेईमानी पूर्वक कुटरचित दस्तावेज तैयार करने एवम् न्यायिक प्रक्रिया में झूठा ापथ पत्र पेश करने की फौजदारी कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मोहनलाल का प्रार्थना पत्र इसी चरण पर खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या गलत, अस्पष्ट एवम् थैलासर राजस्व रिकॉर्ड के विपरित कथन किये है, इसलिए उक्त मद में अंकित कथन अस्वीकार है। इस मद में वर्णित खसरा न. 54 मोहनालाल की खातेदारी की कृर्षि भूमि नही है, बल्कि उक्त खसरा नं. 54 रकबा 4.97 है. रामकुमार दतक पुत्र खम्माराम सा. थैलासर की कृर्षि भूमि है, उक्त खसरा नं.54 के संबंध में काई भी कार्यवाही करने के लिए मोहनालाल अधिकारी नही है, इसलिए मोहनलाल का यह प्रार्थना पत्र खारिज किय जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में अकित राजस्व भूमि तहसलीदार, चूरू के संरक्षण में होने से इंकारी नही है परन्तु अप्रार्थी सं. 2 तहसलीदार, चूरू रिकॉर्ड धारक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व मोहनलाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के कार्यालय में राजस्थान काश्तकारी नियम 69 की कार्यवाही मौकैा निरीक्षण नही करवाने से यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर चलने योग्य नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 कानूनी है।

यह कि मोहनलाल द्वारा याचित सहायता मोहनलाल प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए सम्भवतः एसी धारा नही है, हिसके तहत रास्ते बाबत अप्रार्थी संख्या–2 को आदेश दिया जा सके। मोहनलाल अप्रार्थी संख्या–1 की अव्यस्क की भूमि से किसी भी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा न ही मोहनलाल खसरा नम्बर 54 का खातेदार, काश्तकार है, इसलिए मोहनलाल का किसी भी प्रकार का कटाणी रास्ता प्राप्त करने का खसरा नम्बर 1399/899 में से अधिकारी नही है, इसलिए मोहनलाल का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

यह कि मोहनलाल उक्त प्रार्थना–पत्र के जरिये मूर्ति मन्दिर चीर अव्यस्क के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1399/899 ग्राम रतननगर की रोही में स्थित कृषि भूमि में से अविधिक रूप से रास्ता निकाल लेता है, तब ऐसी स्थिति में मूर्ति मन्दिर की कृषि भूमि का करीब 1/2 हिस्सा खुर्द–बुर्द होकर बेकार हो जायेगा एवम् उक्त कृषि भूमि में प्राप्त होने वाली फसलों में कमी आने से मूर्ति मन्दिर को आर्थिक रूप से क्षति होगी।

यह कि प्रार्थना–पत्र की प्रस्तुती से पूर्व मोहनलाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार, चुरू के कार्यालय से मौका निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, मोहनलाल द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियम, 69 की पालना नही करने पर यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि ग्राम थैलासर के खसरा नम्बर 53 की उत्तरी भूजा की सींव के आगे थैलासर के खसरा नम्बर 951/821 की कृषि भूमि उमाराम पुत्र लिछमणराम के खातेदारी की कृषि भूमि है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–52 से सटी हुई है, जिस कृषि भूमि में से मोहनलाल चाहे तो रास्ता प्राप्त कर सकता है, जो रास्ता सीधा, सरल, सुगम व कम दूरी का है। उक्त खातेदार मोहनलाल के भाई बन्दू है, इस तरह प्रथमतः क्लेम मोहनलाल द्वारा खसरा नम्बर 951/821 थैलासर की कृषि भूमि में से करना चाहिए था, लेकिन मोहनलाल ने मूर्ति मन्दिर की भूमि को हड़पने के लिए गलत रुप से क्लेम किया है, इसलिए मोहनलाल का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि मोहनलाल की कृषि भूमि पटवार हल्का, थैलासर में स्थित है एवम् मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज की कृषि भूमि पटवार हल्का रतननगर में स्थित है, दोनो के पटवार हल्का अलग–अलग क्षेत्र में होने से रास्ते बाबत प्रथमतः क्लेम को मोहनलाल को पटवार हल्का थैलासर की कृषि भूमि में से करना चाहिए, परन्तु मूर्ति मन्दिर चिर अव्यस्क की भूमि को हड़पने की नीयत से गलत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि धारा 251(ए) में नये रास्ते को कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि Absulate Nessesary एवम् Absense of alternative means of access is proved है, जिसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी की भूमि में पहुंचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध ना हो, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में यह स्थिति नही है। धारा 251(ए) सुविधाजनक रास्ते की कायम करने का प्रावधान नही करती है और जब किसी काश्तकार के पास alternative means of access मौजूद है तो वह इसके अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते कायम करने की मांग नही कर सकता है। वर्तमान में खातेदारी की जमीन में आने–जाने का रास्ता कदीमी रुप से थैलासर की रोही में उपलब्ध है, इसलिए मोहनलाल मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की जमीन से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है, इसलिए मोहनलाल का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि मोहनलाल इस प्रार्थना–पत्र के जरिये रतननगर पटवार हल्का की कृषि भूमियों की नींव–सींव तोड़ने की कुचेष्टारत् है, जिससे मूर्ति मन्दिर के अधिकारों पर क्षति हो रही है, मूर्ति मन्दिर के अधिकारों की रक्षा हेतु मोहनलाल को उक्त दुष्कृत्य के लिए रोका जाना न्यायोचित है।

यह कि अन्य तर्क वरक्त बहस एवम् कार्यवाही के दौरान निवेदित किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि मोहनलाल का प्रार्थना–पत्र 50,000/– रूपये हर्जे–खर्चे सहित खारिज किया जावे एवम् मोहनलाल को थैलासर रतननगर की सीमा पर रोका जाना सादर प्रार्थनीय है।

मौका रिपोर्ट तहसीलदार इस प्रकार है।

तहसीलदार मोका रिपोर्ट

1. अंश धारको (प्रार्थी व अप्रार्थी) की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की लेकिन अप्रार्थी मन्दिर श्री गोपाल जी के पुजारी रतनलाल ने हस्ताक्षर करने स मना कर दिया।
2. प्रस्तावित रास्ता नेशनल हाईवे तिराहा रतननगर से ख.न. 1399/899 मन्दिर श्री गोपाल जी रोही रतननगर के उतरी हिस्से के निकट से हाकर प्रार्थी मोहनलाल के खेत ख.नं.53 रोही थैलासर में प्रवेश करता है जिसकी लम्बाई ख.न. 1399/899 में 43 मीटर है एवं रास्ते की चौड़ाई 5.03 मीटर है, एवं रास्ते का क्षेत्रफल 43X5.03 = 216.29 वर्ग मीटर है। उक्त रास्ता मौके पर चालु है एवं रोही मौजा थैलासर के ख.न. 53 में पहुंचने का सबसे निकट रास्ता है, यह सबसे का दूरी का व अत्यन्त आवश्यकता का है।
3. प्रस्तावीत रास्ता नजरीनक्शेनुसार मौके पर [illegible]नगर के ख.न 1399/899 की उतरी साईड से (NH से) ख.नं. 53 रोही थैलासर में [illegible] कर[illegible]। रोही रतननगर के ख.नं. 1399/899 में लम्बाई 43 मीटर होगी [illegible] क्षेत्रफल 216.29 वर्ग मीटर होगा। प्रस्तावीत रास्ता मौके पर चालु है [illegible] दूरी का अत्यन्त आवश्यता का है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित रास्ता रोही रतननगर में रतननगर तिराहा NH से शुरू होकर मन्दिर श्री गोपाल जी के ख.नं. 1399/899 की उतरी दिशा में रोही मौका थैलासर के ख.नं. 53 की पश्चिमी सींव तक 43 मीटर लम्बा है।

4. प्रस्तावित रास्ता रोही रतननगर में रतननगर तिराहे (NH सड़क) से शुरू होकर रोही रतननगर के ख. नं. 1399/899 में 43 मीटर लम्बा है एवं रोही थैलासर के ख.न. 53 तक जाता है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है एव रास्ते में कोई निर्माण,भवन,कुण्ड या वृक्ष नही है।
5. प्रस्तावित रास्ता जो कि रोही रतननगर के ख.नं. 1399/899 में से प्रस्तावित है कि लम्बाई 43 मीटर है। रोही रतननगर ख.नं. 1399/899 जो कि मन्दिर श्री गोपालजी के नाम खातेदारी में है के पुजारी रतनलाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी रतननगर है उक्त प्रस्तावित 43 मीठटर लम्बे रास्ता मौके पर चालू है एवं सुविधा का न होकर अत्यन्त आवश्यकता का है।
6. प्रस्तावित रास्ता ग्राम रतननगर, रतननगर तिरोह (NH) के ख.नं. 1399/899 की उतरी दिशा से रोही थैलासर में प्रार्थी मोहनलाल के खेत ख.नं. 53 की पश्चिमी सीमा तक जाता है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है लेकिन अप्रार्थी मन्दिर श्री गोलाल जी के पुजारी ने असहमती जताई एवं रास्ता करवाने से मना कर दिया। प्रस्तावित रास्ते की रोही रतननगर के ख.नं. 1399/899 जो कि मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम से खातेदारी में दर्ज है में लम्बाई 43 मीटर एवं चौड़ाई 5.03 मी. है एव क्षेत्रफल 216.29 वर्ग मीटर है। रोही मौजा रतननगर में बारानी सड़क पर (NH, SH) की DLC दर 3971000/प्रति हैक्टर है। इस दर से 216.29 वर्ग मी. या 0.021629 है. से DLC राशि होगी – 0.021629 X3971000=85888/ रू होगी। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थी के समक्ष तैयार की एवं हस्ताक्षर करवाये। अप्रार्थी मन्दिर श्री गोपालजी के पुजारी रतनलाल का कहना है कि मैं प्रार्थी मोहन लाल को आने जाने में नही रोकूंगा लेकिन रास्ता कटवाना नही चाहता एवं हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई

प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 53, रोही मौजा थैलासर तक आवागमन हेतु खसरा नं. 1399/899, जो कि मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी भूमि है, में से रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत भूमि खसरा नं. 1399/899 मंदिर (देवस्थान) की भूमि है, उक्त भूमि का प्रबंधन पुजारी/सेवायत द्वारा किया जा रहा है, किन्तु उसका विधिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण देवस्थान विभाग/राज्य के अधीन रहता है। इस प्रकार, विवादित भूमि के संबंध में देवस्थान विभाग एक आवश्यक पक्षकार है, जिसकी अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे यह प्रकरण आवश्यक पक्षकार के अभाव में दोषपूर्ण हो जाता है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मंदिर/देवस्थान की संपत्ति एक संरक्षित संपत्ति है, जिसे विधि में चिर–अव्यस्क के समान संरक्षण प्राप्त है, ऐसी संपत्ति को बिना सक्षम प्राधिकरण/विधिक अनुमति के क्षति पहुँचाना, विभाजित करना अथवा उसमें से हिस्सा निकालना विधिसम्मत नहीं है। अतः सामान्यतः मंदिर की खातेदारी भूमि में से कटानी रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं माना जाता, विशेषकर तब जबकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी (देवस्थान विभाग) की स्वीकृति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हो एवं अन्य वैकल्पिक उपायों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के आधार पर प्रार्थना–पत्र आवश्यक पक्षकार (देवस्थान विभाग) के अभाव में दोषपूर्ण है। मंदिर (देवस्थान) की भूमि में से बिना विधिक स्वीकृति रास्ता प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी मेहनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आवश्यक पक्षकार के अभाव में एवं विधिक रूप अपोषणीय होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested